

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7131

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2013/चैत्र 1, 1935

No. 713]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2013/CHAITRA 1, 1935

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013

का.आ. 821(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा और निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: :--

- 1. (1) इस आदेश को इस्पात एवं इस्पात उत्पाद ((गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2013 कहा जाए ।
 - (2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 की अनुसूची की क्रम सं. 9 के सामने कॉलम (4) के अधीन दी गई प्रविष्टियों में ___

ਕੀਵੀ ਵੀ ਸੂਬੰ ਸ਼ਾਸ਼ਦ ਜੀਵਾ ਤੋਂ ——— -\ 1\ 1.000		विष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी नामत:—
नीचे दी गई मानक सीमा में उत्पाद के शामिल होने की तिथि		
(4)	
(क) उत्पाद		(ख) निम्न तिथि से लागू
''(ङ) 590 एमएम से अधिक आकार (गहराई) के यूनीवर्सल बीम स्ट्रक्चरल स्टील 1016 एमएम आकार तक तथा उसके सहित		31 मार्च, 2013''
(ख) मद सं. (चक) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलि		ट्यां अंत:स्थापित की जाएंगी नामतः—
नीचे दी गई मानक सीमा में उत्पाद के शामिल होने की तिथि	7	
(4	4)	
(क) उत्पाद		(ख) निम्न तिथि से लागू
''(चख) 50×50×4 तथा 100×100×8 के बीच के आकार का एंगल सेक्शन) स्ट्रक्चरल स्टील	(एल	31 मार्च, 2013''

[फा. सं. 1(8)/2012-टीडब्ल्यू (पार्ट फाइल)]

उपेंद्र प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मुख्य आदेश दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 415(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् दिनांक 10 सितंबर, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2128 (अ); दिनांक 17 अक्तूबर, 2012 की का.आ. 2510 (अ) तथा दिनांक 15 फरवरी, 2013 की का.आ. 450 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

1229 GI/2013

MINISTRY OF STEEL

ORDER

New Delhi, the 21st March, 2013

- S.O. 821(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order further to amend the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012, namely:—
- 1. (1) This order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Second (Second Amendment) Order, 2013.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012, in the Schedule, against serial number 9, in the entries under column (4),—
- (a) for item (e) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

 Date of coming into force of the product in the standard to the extent given below

 (4)

 (B) With effect from

 "(e) Universal Beam structural steel of size (depth) greater than 590mm 31st March, 2013" up to and including size 1016mm

 (b) after item (fa) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

 Date of coming into force of the product in the standard to the extent given below

 (4)

 (A) Product

 (B) With effect from

 "(fb) Angle (L section) structural steel of size between 50×50×4 and 100×100×8 31st March, 2013"

[F. No. 1(8)/2012-TW (Part file)]

UPENDRA PRASAD SINGH, Jt. Secy.

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S. O. 415(E), dated the 12th March, 2012 and subsequently amended vide notification numbers, S. O. 2128(E), dated the 10th September, 2012; S. O. 2510(E), dated the 17th October, 2012 and S. O. 450 (E), dated the 15th February, 2013.